

जैविक विविधता (संशोधन) वधियक, 2021

प्रलिस के लयः

जैविक विविधता (संशोधन) वधियक, 2021, जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभसिमय, नागोया प्रोटोकॉल

मेन्स के लयः

जैविक विविधता (संशोधन) वधियक, 2021 की मुख्य वशिषताएँ और संबधति चतिाएँ।

चरचा में क्योँ?

हाल ही में 'जैविक विविधता (संशोधन) वधियक, 2021' को संसद में प्रस्तुत कया गया है।

- ये संशोधन राष्ट्रीय हतों से समझौता कयि बनिा कुछ प्रावधानों को अपराध से मुक्त करने और अनुसंधान, पेटेंट और वाणजियकि उपयोग सहति जैविक संसाधनों की शृंखला में अधकि वदिशी नविश लाने का प्रयास करते हैं।
- हालाँकि, वपिकषी दलों ने वधियक पर चतिा ज़ाहरि करते हुए इसे एक प्रवर समतिके पास भेजने का प्रस्ताव दया है। उन्होंने वधियक को संसद की स्थायी समतिके पास भेजने की मांग की है।

नोट

- कसिी वशिष वधियक की जाँच के लयि एक प्रवर समतिके गठन कया जाता है और इसकी सदस्यता एक सदन के संसद सदस्यों तक सीमति होती है। इसकी अध्यक्षता सत्तारूढ़ दल के सांसद करते हैं।

प्रमुख बदि

- उद्देश्य:** यह वधियक 'जैविक विविधता अधनियम, 2002' में कुछ नयिमों को शथिल करता है।
 - वर्ष 2002 के अधनियम ने भारतीय चकितिसा व्यवसायियों, बीज कषेत्र, उद्योग और शोधकर्त्ताओं पर भारी 'अनुपालन बोझ' अधरीपति कया और सहयोगी अनुसंधान तथा नविश को कठनि बना दया।
- अनुसंधान प्रकरया को सरल बनाएँ:** संशोधन पेटेंटि को प्रोत्साहति करने के लयि भारतीय शोधकर्त्ताओं के लयि पेटेंट की प्रकरया को भी कारगर बनाते हैं।
 - इसके लयि देशभर में कषेत्रीय पेटेंट केंद्र खोले जाएंगे।
- भारतीय चकितिसा प्रणाली को बढावा देना:** यह 'भारतीय चकितिसा प्रणाली' को बढावा देना चाहता है, और भारत में उपलब्ध जैविक संसाधनों का उपयोग करते हुए अनुसंधान की ट्रैकिंग, पेटेंट आवेदन प्रकरया, अनुसंधान परणामों के हस्तांतरण की सुवधि प्रदान करता है।
 - यह स्थानीय समुदायों को वशिष रूप से औषधीय मूल्य जैसे कि बीज के संसाधनों का उपयोग करने में सकषम होने के लयि सशक्त बनाना चाहता है।
 - यह वधियक कसिानों को औषधीय पौधों की खेती बढाने के लयि प्रोत्साहति करता है।
 - जैवविविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभसिमय** के उद्देश्यों से समझौता कयि बनिा इन उद्देश्यों को प्राप्त कया जाना है।
- कुछ प्रावधानों को अपराध से मुक्त करना:** यह जैविक संसाधनों की शृंखला में कुछ प्रावधानों को अपराध से मुक्त करने का प्रयास करता है।
 - इन परिवर्तनों को वर्ष 2012 में भारत के **नागोया प्रोटोकॉल** (सामान्य संसाधनों तक पहुँच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों का उचित तथा न्यायसंगत साझाकरण) के अनुसरण के अनुरूप लाया गया था।
- वदिशी नविश की अनुमति:** यह जैवविविधता में अनुसंधान में वदिशी नविश की भी अनुमति देता है हालाँकि यह नविश आवश्यक रूप से जैवविविधता अनुसंधान में शामिल भारतीय कंपनियों के माध्यम से करना होगा।
 - वदिशी संस्थाओं के लयि **राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण** से अनुमोदन आवश्यक है।

- **आयुष चिकित्सकों को छूट:** वधियक पंजीकृत आयुष चिकित्सकों और संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने वाले लोगों को कुछ उद्देश्यों के लिये जैविक संसाधनों तक पहुँचने हेतु राज्य, जैवविविधता बोर्डों को पूर्व सूचना देने से छूट देने का प्रयास करता है।
- **जैवविविधता अधिनियम, 2002:** इसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, जिसके तहत नमिनलखिति हेतु प्रावधान किया गया था:
 - जैवविविधता का संरक्षण,
 - इसके घटकों का सतत् उपयोग
 - जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा।
- **नागोया प्रोटोकॉल**
 - यह अनिवार्य है कि जैविक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों को स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के बीच नष्पिक्ष और न्यायसंगत तरीके से साझा किया जाए।
 - जब कोई भारतीय या विदेशी कंपनी या व्यक्ति औषधीय पौधों और संबंधित ज्ञान जैसे जैविक संसाधनों का उपयोग करता है, तो उसे राष्ट्रीय जैवविविधता बोर्ड (National Biodiversity Board) से पूर्व सहमति लेनी होती है।
 - बोर्ड एक लाभ-साझाकरण शुल्क या रॉयल्टी लगा सकता है या शर्तें लगा सकता है ताकि कंपनी इन संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग से होने वाले मौद्रिक लाभ को उन स्थानीय लोगों के साथ साझा करे जो क्षेत्र में जैवविविधता का संरक्षण कर रहे हैं।

वशिषज्जों की चत्ताएँ:

- **संरक्षण की तुलना में व्यापार को प्राथमकता:** यह जैविक संसाधनों के संरक्षण के अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य की कीमत पर [बोधक संपदा](#) और वाणज्यिक व्यापार को प्राथमकता देता है।
- **बायो-पायरेसी का खतरा:** आयुष प्रैक्टिशिनर्स (AYUSH Practitioners) को छूट के लिए अब मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है, इससे 'बायो पायरेसी' (Biopiracy) का मार्ग प्रशस्त होगा।
 - बायोपायरेसी के व्यापार में स्वाभाविक रूप से होने वाली आनुवंशिक या जैव रासायनिक सामग्री का दोहन करने की प्रथा है।
- **जैवविविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) का हाशयि पर होना:** प्रस्तावित संशोधन राज्य जैवविविधता बोर्डों को लाभ साझा करने की शर्तों को नरिधारित करने हेतु BMCs का प्रतनिधित्व करने की अनुमति देते हैं।
 - जैवविविधता अधिनियम 2002 के तहत, राष्ट्रीय और राज्य जैवविविधता बोर्डों को जैविक संसाधनों के उपयोग से संबंधित कोई भी नरिणय लेते समय जैवविविधता प्रबंधन समितियों (प्रत्येक स्थानीय नकियाय द्वारा गठित) से परामर्र्श करना आवश्यक है।
- **स्थानीय समुदाय को दरकनार करना:** वधियक खेती वाले औषधीय पौधों को अधिनियम के दायरे से भी छूट देता है। हालाँकि यह पता लगाना व्यावहारिक रूप से असंभव है कि कनि पौधों की खेती की जानी चाहिये और कौन-से पौधे जंगली हैं।
 - यह प्रावधान बड़ी कंपनियों को अधिनियम के दायरे और बेनफिटि-शेरगि प्रावधानों के तहत पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता से बचने या स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझा करने की अनुमति दे सकता है।

आगे की राह

- **वन अधिकार अधिनियम (FRA) का प्रभावी कार्यान्वयन:** सरकार को क्षेत्र में अपनी एजेंसियों और इन वनों पर नरिभर लोगों के बीच वशिवास बनाने का प्रयास करना चाहिये, उन्हें देश में हर कसिी की तरह समान नागरिक माना जाना चाहिये।
 - FRA की खामयियों की पहचान पहले ही की जा चुकी है; बस जरूरत है इसमें संशोधन पर काम करने की।
- **अंतरराष्ट्रीय संधियों का एकीकरण:** [नागोया प्रोटोकॉल](#) का कार्यान्वयन अलग-अलग काम नहीं कर सकता है और इस प्रकार अन्य अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुरूप होना चाहिये।
 - इसलिये [नागोया प्रोटोकॉल](#) और खाद्य और कृषि के लिये पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय संधि (ITPGRFA) के बीच एकीकरण को एक दूसरे के पथ को पार करने वाले वधियायी, प्रशासनिक और नीतगित उपायों पर वचिर करने की आवश्यकता है।
- **पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (PBR):** PBR का उद्देश्य संसाधनों की स्थिति, उपयोग, इतहास, चल रहे परिवर्तनों और जैवविविधता संसाधनों में बदलाव लाने वाली ताकतों और इन संसाधनों को कैसे प्रबंधित किया जाए, इस बारे में लोगों की धारणाओं के लोक ज्ञान का दस्तावेज़ीकरण करना चाहिये।
 - PBR पारंपरिक ज्ञान पर कसिनो या समुदायों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिये उपयोगी हो सकते हैं जो वे एक वशिष कसिम पर धारण कर सकते हैं।

स्रोत-इंडयिन एक्सप्रेस